महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

कार्यवृत्त

विद्या परिषद् की 60वीं बैठक

दिनांक

26 नवम्बर, 2019

स्थान

बृहस्पति भवन

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय

अजमेर ।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय
अजमेर

विद्या परिषद् की 60वीं बैठक
कार्यवृत्त (Minutes)

दिनांकः 26 नवम्बर, 2019 समयः प्रातः 11.30 ब

विद्या परिषद् की 60वीं बैठक दिनांक 26 नवम्बर, 2019 को प्रातः 11:30 बजे बृहस्पति भवन स्थि अशोका सभा कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1.	प्रो. आर.पी. सिंह कुलपति,	अध्यक्ष
2.	प्रो. लक्ष्मी ठाकुर, विभागाध्यक्ष, जनसंख्या अध्ययन	सदस्य
3.	प्रो. शिवप्रसाद संकायाध्यक्ष- महाविद्यालय एवं विभागाध्यक्ष- प्रबन्ध अध्ययन	सदस्य
4.	प्रो. मनोज कुमार संकायाध्यक्ष- प्रबन्ध अध्ययन	सदस्य
5.	प्रो. प्रवीण माथुर संकायाध्यक्ष-छात्र कल्याण, विभागाध्यक्ष, पर्यावरण अध्ययन	सदस्य
6.	प्रो. भारती जैन, संकायाध्यक्ष- पी.जी. स्टडीज एवं विभागाध्यक्ष- खाद्य एवं पोषण विभाग	सदस्य
7.	प्रो. शिवदयाल सिंह संकायाध्यक्ष-समाज विज्ञान, विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र	सदस्य
8.	प्रो. सुब्रतो दत्ता संकायाध्यक्ष- विज्ञान संकाय, विभागाध्यक्ष, रिमोट सैंसिंग	सदस्य
9.	प्रो. रीटा मेहरा, विभागाध्यक्ष-शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायनशास्त्र,	सदस्य
10.	प्रो. नीरज भार्गव, विभागाध्यक्ष- कम्प्यूटर साईंस विभाग,	सदस्य

11. प्रो. आशीष भटनागर, सदस्य
विभागाध्यक्ष- सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग,

12. डॉ. डॉली दलेला, सदस्य
संकायाध्यक्ष - कला संकाय
एस.पी.एस. चौहान राज. महा., अजमेर

13. डॉ. नगेन्द्र सिंह, सदस्य
संकायाध्यक्ष- शिक्षा संकाय
क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान, अजमेर

14. डॉ. विभा शर्मा, सदस्य
संकायाध्यक्ष-विधि एवं प्राचार्य,
राजकीय विधि महाविद्यालय, अजमेर

15. प्रो. अरविन्द पारीक, सदस्य
विभागाध्यक्ष- वनस्पति शास्त्र

16. प्रो. सुभाष चन्द्र शर्मा, सदस्य
विभागाध्यक्ष- प्राणिशास्त्र

17. डॉ. गीतांजलि वर्मा, सदस्य
संकायाध्यक्ष- ललित कला संकाय
राजकीय कन्या महा., भीलवाडा

18. श्री मोहम्मद इदरीस खान सदस्य
प्राचार्य,
स्टार इन्फोटेक कॉलेज,
देवली (जिला टोंक)

19. प्रो. बी.एल. वर्मा, सदस्य
व्यावसायिक प्रबन्ध विभाग
वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययन महाविद्यालय
मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर

20. कुलसचिव सदस्य-सचिव
म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :

1. प्रो. बी.पी. सारस्वत, संकायाध्यक्ष- वाणिज्य संकाय
2. अध्यक्ष, मा. शिक्षा बोर्ड राज., अजमेर
3. डॉ. (सिस्टर) पर्ल, सोफिया गर्ल्स कॉलेज, अजमेर
4. आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, जयपुर

मद	विवरण	अनुभाग/विभाग
मद सं. 1	विद्या परिषद् की दिनांक 11.10.2019 को सम्पन्न हुई 59वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्र.एफ.13(59)शैक्ष.-I/मदसविवि/2019/16032-48 दिनांक 30.10.2019 को प्रेषित की गई।	शैक्षणिक-I
निर्णय	**कार्यवृत्त की पुष्टि इस प्रेक्षण के साथ की गई कि क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान, अजमेर में बी.ए.-बी.एड./बी.एस.सी.-बी.एड. एवं बी.एड, एम.एड. कोर्स में Semester (CBCS) Choice Based Credit System शैक्षणिक सत्र 2020-21 से लागू किया जाए।**	
मद सं. 2	विश्वविद्यालय में Centre for Excellence की स्थापना पर विचार कर निर्णय करना।	शैक्षणिक-I
निर्णय	**बैठक में निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में Centre for Excellence की स्थापना की प्रथम कडी में विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग को Centre for Excellence बनाया जाए।**	
मद सं. 3	विश्वविद्यालय की National Institutional Ranking Framework में सहभागिता पर विचार कर निर्णय करना।	शैक्षणिक-I
निर्णय	**विश्वविद्यालय में National Institutional Ranking Framework में सहभागिता करने का निर्णय लिया गया।**	
मद सं. 4	विश्वविद्यालय को Smart University बनाए जाने पर विचार कर निर्णय करना।	शैक्षणिक-I
निर्णय	**बैठक में निर्णय लिया गया कि, विश्वविद्यालय को Smart University बनाए जाने के लिए निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :** **1. प्रो. मनोज कुमार** **2. प्रो. प्रवीण माथुर** **3. प्रो. नीरज भार्गव** **समिति अपनी रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र माननीय कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेगी।**	
मद सं. 5	प्रबन्ध बोर्ड की 94वीं बैठक दिनांक 30.06.2018 के मद संख्या 01 पर बोर्ड द्वारा कार्यवृत्त की पुष्टि इस प्रेक्षण के साथ की गई थी कि- "प्रो.	शैक्षणिक-I

	भारती जैन से कार्यवृत्त के सम्बन्ध में टिप्पणी प्राप्त हुई है, जो प्रो. रीटा मेहरा के अमर्यादित व्यवहार बाबत कार्यवृत से विवरण विलोपित करने से संबंधित है, में निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रकरण विद्या परिषद से संबंधित है, अतः प्रकरण को विद्या परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे एवं यदि विद्या परिषद से प्रकरण में टिप्पणी सही पाई जाती है तो प्रबन्ध बोर्ड की 93वीं बैठक दिनांक 5 दिसम्बर, 2017 के निर्णय संख्या 01 को यथावत् रखा जाए।" अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष पुनः विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**बैठक में प्रकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**	
मद सं. 6	प्रबन्ध बोर्ड की 94वीं बैठक दिनांक 30.06.2018 के मद संख्या 21 पर निर्णय लिया गया कि समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के कार्यवृत को विद्या परिषद् की आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जाए। अतः उक्त कार्यवृत्त विद्या परिषद् में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। (कार्यसूची का परिशिष्ठ-1)	शैक्षणिक-I
निर्णय	**समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के कार्यवृत की पुष्टि की गई।**	
मद सं. 7	ऐसे कोर्स जिसमें Practical Subject है, ऐसे कोर्स Private नहीं होंगे, पर विचार करना।	परीक्षा नियंत्रक/ शैक्षणिक-I
निर्णय	**ऐसे कोर्स जिसमें प्रैक्टिकल विषय हैं, ऐसे कोर्स प्राइवेट नहीं होंगे का निर्णय लिया गया।**	
मद सं. 8	**माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करनाः-** (1) **प्रतिवेदन है कि** शोध पर्यवेक्षक डॉ. रेणु वर्मा (व्याख्याता- हिन्दी, राजकीय महाविद्यालय, टोंक) ने माननीय कुलपति महोदय को दिनांक 11.09.2015 को पत्र से सूचित किया कि उनके अधीन कार्यरत शोधार्थी बिजेन्द्र सिंह मीणा ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है। इस शिकायत के आधार पर माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 08.10.2015 की अनुपालना में शोधार्थी का स्थाई पंजीयन क्रमांक एफ-15/शोध (34/2010)/हिन्दी/128/ मदसविवि /45743 दिनांक 14.8.2013 को कार्यालय आदेश क्रमांक 55203 दिनांक 09 अक्टूबर, 2015 द्वारा निरस्त किया गया। अभ्यर्थी बिजेन्द्र सिंह मीणा के आवेदन पर माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 29.04.2016 की अनुपालना में अभ्यर्थी का प्रकरण	उपाधि

	रिसर्च ग्रीवेन्स रिड्रेसल कमेटी के समक्ष रखा गया। दिनांक 09.09.2016 को आयोजित इस कमेटी की बैठक की अनुशंषा निम्नानुसार है:- "पूर्व बैठक दिनांक 14.06.2016 के निर्णयानुसार प्रार्थी बिजेन्द्र सिंह मीणा द्वारा शोध पर्यवेक्षक अथवा अन्य किसी शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार कभी नही करने का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है। अतः प्रार्थी का शोध पंजीयन बहाल करते हुए अन्य शोध पर्यवेक्षक आंवटन हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ की जावे।" रिसर्च ग्रीवेन्स रिड्रेसल कमेटी के कार्यवृत का माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 29.09.2016 को अनुमोदन किये जाने के बाद बिजेन्द्र सिंह मीणा के प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय सूचित किये जाते है:- 1. बिजेन्द्र सिंह मीणा का शोध पंजीयन क्रमांक एफ-15/शोध/(34/2010)/हिन्दी/128/मदसविवि/ 45743 दिनांक 14.06.2013 इस कार्यालय आदेश के जारी होने की दिनांक 21.11.2016 से बहाल किया जाता है। 2. शोध पर्यवेक्षक डॉ. बीना शर्मा (विषय-हिन्दी) की सहमति दिनांक 18.10.2016 के आधार पर प्रार्थी बिजेन्द्र सिंह मीणा को डॉ. बीना शर्मा के अधीन शोध कार्य किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। 3. प्रार्थी बिजेन्द्र सिंह मीणा के पंजीयन निरस्तीकरण जारी करने की दिनांक 09.10.2015 से पंजीयन बहाल करने की दिनांक 21.11.2016 तक की अवधि को शोध अंतराल माना जायेगा दिनांक 21.11.2016 से शोध सम्बन्धित कार्यवाही जारी रहेगी। अतः माननीय कुलपति महोदय के उक्त आदेश प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	पुष्टि की गई।	
मद सं. 9	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई, 2018 के क्रम में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख रखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम 2018 में वर्णित विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, पुस्तकालयाध्यक्ष, उप-पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, निदेशक-शारीरिक शिक्षा, उप निदेशक-शारीरिक शिक्षा एवं सहायक निदेशक-शारीरिक शिक्षा के पदों पर सीधी भर्ती एवं कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत इन पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों के	संस्थापन

	लिये वर्णित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/वांछित योग्यता एवं अर्हताओं को प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने हेतु मद विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	**विज्ञापन जारी करने के समय, तत्समय प्रभावी यू.जी.सी. रूल्स लागू करने का निर्णय लिया गया।**	
मद सं. 10	सिन्धी पाठ्यक्रम समिति (सी.ओ.सी.) की बैठक दिनांक 25 नवम्बर, 2019 के कार्यवृत्त पर विचार करना। (परिशिष्ठ-2)	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**सिन्धी पाठ्यक्रम समिति (सी.ओ.सी.) की बैठक दिनांक 25 नवम्बर, 2019 की अनुशंषाओं को निम्नलिखित प्रेक्षण के साथ स्वीकार किया :** **सिन्धी विषय में समिति द्वारा प्रस्तुत डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा प्रो. लक्ष्मी ठाकुर, निदेशक-सिन्धु शोध पीठ द्वारा प्रस्तुत डिप्लोमा पाठ्यक्रम पर परीक्षण करने हेतु प्रो. शिवदयाल सिंह, संकायाध्यक्ष-समाज विज्ञान को अधिकृत किया। प्रो. सिंह अपनी अनुशंषा माननीय कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेंगे।**	
मद सं. 11	श्री कनिष्क पाण्डेय, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश को 'खेल पर शोध' कार्य करने तथा उनके द्वारा ''स्पोर्ट्स : ए वे ऑफ लाइफ'' पुस्तक का संकलन कार्य करने के लिए उन्हें 'डॉक्ट्रेट की मानद उपाधि' प्रदान करने बाबत।	**शोध अनुभाग**
निर्णय	**डॉ. कनिष्क पाण्डेय, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश को 'खेल पर शोध कार्य' करने उपरान्त उन्होंने ''स्पोर्ट्स : ए वे ऑफ लाइफ'' पुस्तक का संकलन किया। इस कार्य के लिए उन्हें 'डॉक्ट्रेट की मानद उपाधि' माननीय कुलाधिपति महोदय के अनुमोदन के अध्ययधीन प्रदान करने का निर्णय लिया।**	

कुलपति 26-11-19

कुलसचिव